

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 668 / 2013  
संस्थान दिनांक 31.10.201

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रू द्ध

परदेशी पिता तुकाराम, आयु 27 वर्ष  
निवासी- ग्राम बांदरकच्छ,  
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

---

// निर्णय //

(आज दिनांक 27.10.2015 को घोषित)

1. आरक्षी केन्द्र ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 213/2013 अंतर्गत म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) में दिनांक 31.10.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 10.10.2013 को समय 14:30 बजे, भटगवला रोड, तलाईपुरा ग्राम दवाना में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक काले रंग के रबर के ट्यूब में लगभग 20 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा एवं एक लाल झोले में सफेद रंग की 6 थैली में 18 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा वाहन मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा बिना क्रमांक की, सी.डी. 100-55 इंजन क्रमांक 97 एच. 10 ई. 17099 में परिवहन करते हुए पाये जाने के संबंध में अभियुक्त पर म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 10.10.2013 को उपनिरीक्षक ओमप्रकाश यादव को बाजार इंतजाम दवाना में हमराह प्रधान आरक्षक ओमप्रकाश के जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि परदेशी पिता तुकाराम निवासी ग्राम बांदरकच्छ का भटगवला रोड़ से तलाईपुरा दवाना की ओर पुरानी हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल बिना नम्बर की लेकर उसमें अवैध हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा विक्रय करने के लिए लेकर आ रहा है। सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान ओमप्रकाश एवं तंवरसिंह को तलब कर सूचना से अवगत कराकर बताये स्थान पर हमराह मय पंचान के पहुँचे जहाँ पर एक टापरे की आड़ में छिपकर देखा, तब भटगवला रोड़ से एक व्यक्ति हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल बिना नम्बर की उसमें मदिरा रखकर लाते दिखा जिसे हमराह पंच व प्रधान आरक्षक क्रमांक 271 सभी ने घेराबंदी कर पकड़ने दौड़े तो वह व्यक्ति मोटरसाईकिल मय मदिरा को छोड़कर भागा जिसका पीछा किया किन्तु वह व्यक्ति भागने में सफल हो गया। भागने वाले व्यक्ति का नाम पता तस्दीक किया तो उक्त व्यक्ति का नाम परदेशी पिता तुकाराम निवासी-ग्राम बांदरकच्छ का होना पाया था। पुलिस ने घटनास्थल से पंच साक्षियों के समक्ष एक हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल बिना क्रमांक की तथा एक रबर के काले ट्यूब में लगभग 20 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा तथा एक लाल झोले में प्लास्टिक की 6 थैली जिसमें 18 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा जिसे अभियुक्त बिना लायसेंस के विक्रय के लिए ले जा रहा था को जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया था तथा तत्पश्चात् उपनिरीक्षक ओ.पी. यादव द्वारा जप्तशुदा मदिरा एवं मोटरसाईकिल को थाने पर लाकर अपराध क्रमांक 213/2013 अंतर्गत धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम में अभियुक्त परदेशी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 3 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की तथा साक्षीगण ओमप्रकाश पिता बाबुलाल एवं तंवरसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोग पत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त दिनांक 10.10.2013 को समय 14:30 बजे, भटगवला रोड़, तलाईपुरा ग्राम दवाना में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक काले रंग के रबर के ट्यूब में लगभग 20 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा एवं एक लाल झोले में सफेद रंग की 6 थैली में 18 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा वाहन मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा बिना क्रमांक की, सी.डी. 100—55 इंजन क्रमांक 97 एच. 10 ई. 17099 में परिवहन करते हुए पाया गया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में ओमप्रकाश (अ.सा.1), आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान (अ.सा.2), उपनिरीक्षक पुलिस ओ.पी. यादव (अ.सा.3) एवं तंवरसिंह (अ.सा.4) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में ओ.पी.यादव अ.सा. 3 ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 10.10.13 को वह उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था तथा ग्राम दवाना में बाजार इंतजाम में उसे सूचना मिली कि अभियुक्त मोटरसाईकिल पर अवैध रूप से मदिरा रखकर ला रहा है। उसने मुखबिर से प्राप्त सूचना पर विश्वास कर साक्षी बाबुलाल एवं तंवर को बुलाकर मुखबिर की सूचना बताई और मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुँचे तथा एक टापरी की आड़ में छिपकर बैठ गये तथा भटगवला रोड़ की ओर से एक मोटरसाईकिल आते दिखी, जिसमें काले रंग के ट्यूब में 20 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा एवं लाल रंग के झोले में 6 थैलियों में 18 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा भरी पाई गई। अभियुक्त घटनास्थल पर उक्त मोटरसाईकिल एवं मदिरा छोड़कर भाग गया। उसने घटनास्थल से एक हीरोहोण्डा कम्पनी की मोटरसाईकिल बिना क्रमांक की सी.डी. 100 एस.एस एवं एक रबर का काला ट्यूब जिसमें भरी 20 लीटर हाथ मदिरा एवं लाल रंग के झोले में 6 थैलियों में 18 लीटर हाथ भट्टी मदिरा प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त की जिसके बी से बी भाग पर उसके

हस्ताक्षर है। काले रंग के ट्यूब में भरी मदिरा आर्टिकल 'ए' एवं झोला आर्टिकल 'बी' है। उसने थाने पर आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 213/13 प्रदर्शपी 3 का दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने साक्षी ओमप्रकाश एवं तवरसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने जप्तशुदा मदिरा का परीक्षण आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ से करवाया था। उसने दिनांक 20.10.13 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि सूचना उसे दवाना के बस स्टेण्ड पर मिली और घटनास्थल पर वे दो मोटरसाईकिल से गये थे। घटनास्थल पर वे अभियुक्त को पकड़ नहीं पाये थे। अभियुक्त किस रंग के कपड़े पहना था उसे नहीं मालूम। साक्षी ने स्वीकार किया कि दवाना बाजार में इंतजाम में लाने पर उसने रोजनामचे में इंद्राज किया था, लेकिन उसने रोजनामचे की प्रतिलिपि प्रकरण में पेश नहीं की है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त से कोई मदिरा जप्त नहीं की थी अथवा उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है तथा अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

8. ओमप्रकाश अ.सा. 1 तथा तवरसिंह असा 4 जप्ती पंचनामों के साक्षीगण हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्त को पहचानने या उनके सामने अभियुक्त से कोई भी मदिरा जप्त होने से इंकार किया है तथा अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया है। इन साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षियों ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है यहाँ तक कि पुलिस को कथन देने से भी इंकार किया है। साक्षियों ने केवल प्रदर्शपी 1 के पंचनामे पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। साक्षियों के कथन है कि उक्त हस्ताक्षर उन्होंने थाने पर किये थे और उनके हस्ताक्षर किये जाते समय उक्त दस्तावेज पर कुछ नहीं लिखा था।

9. नफीस एहमद खान अ.सा. 2 ने दिनांक 19.10.2013 को उसने थाना ठीकरी के प्रदर्शपी 2 के पत्र के आधार पर एक ट्यूब एवं प्लास्टिक की 6 थैलियों में भरे तरल पदार्थ की जाँच की थी और उसमें भरे पदार्थ को हाथ भट्टी मदिरा होना पाया था। साक्षी ने उक्त तरल पदार्थ का चखकर, सूँघकर और लिटमस पेपर डालने से जाँच करना भी बताया है तथा जाँच रिपोर्ट प्रदर्शपी 3 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने किसी मदिरा की जाँच नहीं की है अथवा असत्य प्रतिवेदन पुलिस के कहने पर तैयार किया है।

10. इस प्रकार स्पष्ट रूप से जिन साक्षियों के सामने ओ.पी. यादव असा 3 ने अभियुक्त से उक्त मदिरा जप्त होना बताया है उन्होंने अपने सामने उनके द्वारा कार्यवाही की जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। ओ.पी. यादव अ.सा. 3 ने घटना के समय अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करना भी स्वीकार किया है तथा उसके द्वारा दवाना के बाजार में इंतजाम के संबंध में खानगी एवं अभियुक्त से जप्त सामान के साथ थाने पर वापस आने के संबंध में रोजनामचे की प्रतिलिपि भी अभियोग पत्र के साथ पेश नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है और संदेह कितना भी प्रबल हो लेकिन साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है तथा संदेहास्पद साक्ष्य के आधार पर कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त परदेशी के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त परदेशी को संदेह का लाभ देते हुए धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा एक काले रंग के रबर के ट्यूब में लगभग 20 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा एवं एक लाल झोले में सफेद रंग की 6 थैली में 18 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे तथा प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा बिना क्रमांक की, सी.डी. 100-55 इंजन क्रमांक 97 एच. 10 ई. 17099 को अपील अवधि पश्चात् उसके पंजीकृत स्वामी को दी जाये। यदि उक्त जप्तशुदा वाहन के दावेदार 6 माह में उपस्थित नहीं होता है तो उक्त वाहन राजसात कर नीलाम की कार्यवाही कर राशि कोषालय में जमा की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी